न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर

क्रमांक /कोर्ट/2025/ 857

दिनांक 26/9/25

श्री करन सिंह
निवासी नैवाडा, तहसील भुसावर
जिला भरतपुर
मो न0 9105153555

विषयः—अपील संख्या 62/2025 अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 उनवानी **श्री करन सिंह बनाम लो.सू. अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नदबई** में निर्णय की प्रति भिजवाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील में **निर्णय दिनांक 19.09.2025** की छायाप्रति संलग्न कर सूचनार्थ प्रेषित है।
संलग्नः— निर्णय प्रति

आज्ञा से

रीडर
जिला कलक्टर,
भरतपुर

फर्द अहकाम

अज अदालत–न्यायालय जिला कलक्टर–मुकाम–भरतपुर

करन सिंह बनाम लो.सू.अधि. उपखण्ड अधिकारी नदबई

किस्म मुकदमा अपील **RTI** नम्बर 62 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
04.09.2025	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट करन सिंह निवासी नैवाडा तहसील भुसावर जिला भरतपुर की अपील ऑनलाईन अपील संख्या 060628895007502 से लोक सूचना अधिकारी **उपखण्ड अधिकारी नदबई** के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपील की प्रति **उपखण्ड अधिकारी नदबई** को प्रेषित कर अपील पर रिपोर्ट तलब की जावे। यदि प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करा दी गई हो तो प्राप्ति रसीद मंगाई जावे। पत्रावली दिनांक 19.09.2025 को पेश हो। जिला कलक्टर, भरतपुर	112 5/9/25 प्रेषित
19/9/25	पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है अस्तु अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो, बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर भरतपुर	

कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 62 / 2025

श्री करनसिंह निवासी नैवाडा तहसील भुसावर जिला भरतपुर पिन कोड 321407 मो. नं. 9105153555

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्डाधिकारी नदबई

.......रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश दिनांक 19.09.2025

अपीलार्थी श्री करनसिंह निवासी नैवाडा तहसील भुसावर जिला भरतपुर राज0 की सूचना का अधिकार का अधिनियम 2005 के अन्तर्गत ऑनलाईन अपील सं0 060628895007502 इस आश्य की प्राप्त हुई है कि प्रार्थी / अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऑनलाईन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी, से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी, द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। पत्रावली एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदि का अवलोकन किया गया। चाही गई सूचना उपखण्डाधिकारी नदबई से सम्बन्धित होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक / कोर्ट / 25 / 772 दिनांक 04.09.2025 के द्वारा अपील की प्रति भेजते हुये लोक सूचना अधिकारी, एवं उपखण्डाधिकारी नदबई से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्डाधिकारी नदबई से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी, उपखण्डाधिकारी नदबई से कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं होना यह स्पष्ट करता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना, लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है, यानि लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर सूचना लम्बित है। ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

.......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

अस्तु अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी नदबई को निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के तहत बाध्यकारी प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध करावें। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भेजी जावे। साथ ही आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी नदबई को भी प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर
भरतपुर